

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 1852 /12-2

दिनांक, चम्पावत 19/12/2019

2019

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- प्रस्ताव संख्या 39053/2019 टनकपुर से तवाघाट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 1908/12-1(2)दिनांक 3.12.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर वांछित सूचना /आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र०स०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	आपके द्वारा विषयगत मोटर मार्ग के आपत्ति के उत्तर में 593 वृक्ष प्रभावित होने की सूचना दी गयी है, जबकि पार्ट 2 में 701 वृक्ष प्रभावित होने की सूचना अपलोड की गयी है। अन्तर का कारण स्पष्ट करें तथा सही स्थिति अवगत कराये।	उपरोक्त विषयगत मोटर मार्ग में वास्तविक रूप से 593 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। पार्ट 2 में वृक्षों की संख्या सही कर अपलोड कर दी गयी है।
2	प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित वनभूमि का घनत्व 0.04 सूचित किया गया है। घनत्व के आधार पर एन०पी०वी० की सही दरों के आधार पर भूमि का मूल्य अंकित किया जाये।	उपरोक्त विषयगत प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले घनत्व 0.04 के अनुसार प्रति है० दर 845000.00 के आधार पर एन०पी०वी० की दर ली गयी है, व एन०पी०वी० की गणना की प्रपत्र ऑनलाईन पाट-1 अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत